पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/09(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

संयुक्त सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/5/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.05.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुर्नगठित) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश मद की ₹6,00,00,000.00 (छह करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की ₹4,00,00,000.00 (चार करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.05.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुर्नगठित) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के आलोक में केन्द्रांश मद की ₹6,00,00,000.00 (छह करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की ₹4,00,00.000.00 (चार करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) मात्र मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुर्नगठित) के अंतर्गत केन्द्रांश मद की ₹6,00,00,000.00 (छह करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की ₹4,00,00,000.00 (चार करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत निम्नरूपेण की जायेगी :–

राशि रूपये में

क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
(i)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515001980215	0215–31–04	1,50,00,000.00
		0215–31–05	1,00,00,000.00
		0215–31–06	1,50,00,000.00
Total (A)			**4,00,00,000.00**
(ii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0214– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515007890214	0214–31–04	90,00,000.00
		0214–31–05	50,00,000.00
		0214–31–06	1,50,00,000.00
Total (B)			**2,90,00,000.00**

(iii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0220.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007960220	0220–31–06	3,10,00,000.00
Total (C)			3,10,00,000.00
Total (A+B+C)			**10,00,00,000.00**

दस करोड़ रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्तर पर नामित क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) हेतु संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार जो राशि की निकासी एवं व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का व्यय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2026–27) के तहत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की गठित Central Empowered Committee (CEC) द्वारा अनुमोदित इकाईयों अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप SNA-SPARSH Model के माध्यम से किया जायेगा।

6. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना होंगे, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु Central Empowered Committee (CEC) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का 25 प्रतिशत मात्र गतिविधियों के क्रियान्वयन में राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार के समायोजन हेतु 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. इस आवंटित राशि को पंचायती राज विभाग, बिहार (प्रशासी विभाग) द्वारा CFMS पोर्टल पर राज्य एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) को राशि का Limit प्रदान करेंगे। उपलब्ध करायी गयी राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच–पड़ताल के बाद ही किया जायेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

11. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड,

विपत्र कोड एवं माग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन सचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020 के पृष्ठ संख्या 137/टि० पर दिनांक 14/5/2026 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

15/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/09(आ0)/पं०रा०, पटना, दिनांक 15/5/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-13, 06(लेखा) एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/09(आ0)/पं०रा०, पटना, दिनांक 15/5/26

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, बिहार पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/09(आ0)/पं०रा०, पटना, दिनांक 15/5/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव